भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या 258

10.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

एफएएमई-II (फेम-II) योजना

258. **डॉ. डी. रवि कुमारः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के भारी उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है जिसमें ऑटोमोबाइल, पूंजीगत वस्तुओं (कैपिटल गुड्स) और औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र की अग्रणी स्थिति सहित विनिर्माण के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) फेम-II योजना, जिसके तहत वर्ष 2024 तक 12 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन का लाभ मिला है, को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वाहनों के उन्नत पुर्जों, पूंजीगत उपकरणों (कैपिटल इक्यूप्मेंट) और रक्षा-श्रेणी की मशीनों के घरेलू विनिर्माण के लिए अतिरिक्त नीतिगत या वित्तीय सहायता प्रदान करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारी उद्योग क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी अपनाने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग मंत्री

(श्री एच. डी. कुमारस्वामी)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"फेम-II स्कीम" के संबंध में डॉ. डी. रवि कुमार द्वारा दिनांक 10.03.2026 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : जी हाँ, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 2023-24 के दौरान 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे विनिर्माण क्षेत्र में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि से समर्थन मिला। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों पर प्रकाशित क्षेत्र-वार आँकड़ों के अनुसार, इन क्षेत्रों में ऑटोमोबिल, पूंजीगत वस्तुएँ या औद्योगिक मशीनरी जैसे विशिष्ट उद्योग उप-समूहों का ब्यौरा प्रदर्शित नहीं किया जाता।

(ख) : 01.04.2019 से 31.03.2024 तक कार्यान्वित की गई फेम-II स्कीम ने नीचे दिए गए विवरणानुसार ई-दुपहिया, ई-तिपहिया और ई-चौपहिया सहित लगभग 16.71 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री में समर्थन किया है :

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	वाहनों की कुल संख्या
1	दुपहिया	14,69,343
2	तिपहिया	1,78,952
3	चौपहिया	23,311
कुल		**16,71,606**

उपर्युक्त के अतिरिक्त, फेम-II स्कीम के अंतर्गत विभिन्न शहरों के लिए 6,862 ई-बसों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 28.02.2026 तक 5,195 ई-बसों को तैनात किया जा चुका है। इस स्कीम में पूरे भारत में 9,332 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) स्थापित करने के लिए ₹912.50 करोड़ की सहायता भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम को 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2028 तक ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया गया है। इस स्कीम में 5,643 ई-ट्रक और 14,028 ई-बसों सहित कुल 28.27 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समर्थन का प्रावधान है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) की स्थापना के लिए ₹2,000 करोड़ तथा परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए ₹780 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए देश की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योगों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो) को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ मंज़ूरी प्रदान की है। पीएलआई-ऑटो स्कीम उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) गाड़ियों और एएटी घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ाने के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि - फेज़ II" स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

स्कीम के चरण-II के अंतर्गत अब तक कुल 891.37 करोड़ रुपये की परियोजना लागत और 714.64 करोड़ रुपये के सरकारी योगदान के साथ कुल 29 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन 29 परियोजनाओं में 7 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), 4 सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी), 6 परीक्षण और प्रमाणन केंद्र, प्रौद्योगिकी विकास के लिए 9 उद्योग एक्सीलेरेटर और कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए अर्हता पैक के सृजन के लिए 3 परियोजनाएं शामिल हैं।

'सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण संवर्धन स्कीम', जिसका उद्देश्य हर साल 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की क्षमता के साथ एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) विनिर्माण क्षमता स्थापित करना है, को 15.12.2025 को अधिसूचित किया गया। इस स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय ₹7,280 करोड़ है, जिसमें पांच (5) वर्षों के लिए आरईपीएम की बिक्री पर ₹6,450 करोड़ का बिक्री-संबद्ध प्रोत्साहन और ₹750 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी शामिल है।

*****